

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)कोन्टा, जिला सुकमा (छ.ग.)

कमांक / 3743

/रीडर/भू.अर्जन /2024

कोन्टा दिनांक 7/02/2024

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी
नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर (NIC)
सुकमा जिला सुकमा (छत्तीसगढ़)

विषय :- भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में ।

विषयान्तर्गत कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग जगदलपुर के द्वारा ग्राम कोन्टा -ढोण्डरा स्थित कुल 05 खसरा नम्बरों की कुल रकबा 2.886 हेक्टेयर में से 0.330 हेक्टेयर निजी भूमि के अर्जन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिला सुकमा की ग्राम ढोण्डरा -कोन्टा पटवारी हल्का कमांक 24/कोन्टा के ढोण्डरा से मोटू (ओडिसा राज्य) के शबरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माणाधीन है । उक्त पुल तक पहुँचमार्ग हेतु उपरोक्त भूमि का भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत जारी अधिसूचना पत्र के साथ सलग्न कर आपकी ओर जिला सुकमा की वेबसाइट में अपलोड करने एवं छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने की कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न :- 02 प्रतियाँ अधिसूचना ।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोन्टा जिला सुकमा छ.ग.

पृ. कमांक / 3744

/रीडर/भू.अर्जन /2024

कोन्टा दिनांक 7/02/2024

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोन्टा एवं मुख्य नगर पंचायत अधिकारी कोन्टा को नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
2. कार्यालय तहसीलदार कोन्टा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत ढोण्डरा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोन्टा जिला सुकमा छ.ग.

**कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा**

// अधिसूचना //

दिनांक 1/02/2024

क्रमांक / 319 / रीडर/अ-82/2022-23

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का ग्राम कोण्टा से मोटू घाट (उड़ीस राज्य मार्ग) के किमी. 1/8-10 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन :-

- 1- जिला - सुकमा
- 2- तहसील - कोण्टा
- 3- ग्राम - कोण्टा
- 4- भूमि का क्षेत्रफल - 0.330 हे.

क.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	2	3	4
1	श्री मड़कम पोद्दा पिता चिन्नावी एवं श्री मड़कम बदरो पति चिन्नावी जाति दोरला, साकिन कोण्टा।	152/1	0.101
2	श्री मड़कम मल्ला पिता लच्छा एवं श्री मड़कम पंतुल पिता लच्छा, जाति दोरला, साकिन कोण्टा।	152/2	0.101
3	श्री मनोज कुमार साना पिता सुरेन्द्र नाथ साना साकिन कोण्टा।	150/2	0.060
4	श्री आर.बालाजी सिंह पिता राम सिंह एवं श्रीमती निम्मी पति आर.बालाजी सिंह साकिन कोण्टा।	98/1	0.032
5	श्री मो.नुरुल्ला, मो. जफरल्ला नसरुल्लाह पिता मो. शरीफ एवं श्रीमती सिराजुनिशा पति डी.ए.शरीफुल्ला खान साकिन कोण्टा।	98/2	0.036
योग-		कुल खसरा संख्या- 05	0.330

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोण्टा में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हरीस. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

आधिकारी छि

**कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सुकमा**

क्रमांक / 319 /रीडर/अ-82/2022-23

//अधिसूचना//

दिनांक 7/02/2024

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का ग्राम कोण्टा से मोदू घाट (उड़ीस राज्य मार्ग) के किमी. 1/8-10 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन :-

- 1- जिला - सुकमा
- 2- तहसील - कोण्टा
- 3- ग्राम - कोण्टा
- 4- भूमि का क्षेत्रफल - 0.330 हे.

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
1	2	3	4
1	श्री मड़कम पोददा पिता चिन्नावी एवं श्री मड़कम बदरो पति चिन्नावी जाति दोरला, साकिन कोण्टा।	152/1	0.101
2	श्री मड़कम मल्ला पिता लच्छा एवं श्री मड़कम पंतुल पिता लच्छा, जाति दोरला, साकिन कोण्टा।	152/2	0.101
3	श्री मनोज कुमार साना पिता सुरेन्द्र नाथ साना साकिन कोण्टा।	150/2	0.060
4	श्री आर.बालाजी सिंह पिता राम सिंह एवं श्रीमती निम्मी पति आर.बालाजी सिंह साकिन कोण्टा।	98/1	0.032
5	श्री मो.नुरुल्ला, मो. जफरल्ला नसरुल्लाह पिता मो. शरीफ एवं श्रीमती सिराजुनिशा पति डी.ए.शरीफुल्ला खान साकिन कोण्टा।	98/2	0.036
योग-		कुल खसरा संख्या- 05	0.330

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोण्टा में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि का अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(हरीस. एस)

कलेक्टर, जिला सुकमा
एवं पदेन उप सचिव, छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग